ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 510-512

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

प्राचीन भारतीय स्थानीय शासन व्यवस्था में कृषि

सूर्यदेव सिंह
असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, लोक प्रशासन विभाग, बी0 एल0 पी0 कॉलेज, मसौढ़ी–पटना (बिहार) भारत

Received- 05.08.2020, Revised- 09.08.2020, Accepted - 13.08.2020 E-mail: - dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : ***मानव सभ्यता के विकास क्रम में पशुपालन के बाद 'कृषि' काल ही महत्वपूर्ण रहा है। कौटिल्य के अनुसार प्राचीन सभ्यता से ही कृषि को उत्तम श्रेणी में रखा गया हैं। कृषक वर्ग पवित्र एवं अवध्य सदैव जनता की भलाई करने वाला माना गया है। कृषि कार्य हल बैल द्वारा होती थी । उर्वरक का प्रयोग भी किया जाता था । स्थानीय शासन द्वारा बाढ़ अग्निकाण्ड, अन्य आपदाओं से सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाये जाते थे। अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि से उत्पन्न संकट से बचने के लिए बड़े अन्नागार की व्यवस्था थी। राज्य की ओर से बीज एवं आर्थिक सहायता दी जाती थी। कृषि कार्यों के लिए उपकरणों के निर्माण शिल्पी करते थे। सरकार इनसे कर नहीं लेते थे। राज्य कोष से भी सहायता मिलती थी।***

कुंजीभूत शब्द– मानव सभ्यता, विकास क्रम, पशुपालन, प्राचीन सभ्यता, उत्तम श्रेणी, कृषक वर्ग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि।

(1) कृषि उत्पादन :– कृषि राज्य के नियंत्राधीन था। सभी अन्नों–पुष्प शाक–कन्द लताओं से उत्पन्न होने वाले उत्पाद सन कपास आदि थी उपज कृषि के अन्तर्गत मानी जाती थी।

कृषि विभाग का विभागाध्यक्ष को सीताध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। इन्हें कृषि शास्त्र–पैमाइश तथा वनस्पति शास्त्र का विशेषज्ञ माना जाता था।

राज्य की समस्त भूमि पर कृषि विषयक नियमन–नियंत्रण–क्रियान्वयन उसका कर्त्तव्य क्षेत्र था। कृषि कार्य के लिए सक्षम श्रमिकों की व्यवस्था किया करते थे। कृषि कार्य निजी तथा राजकीय दोनों क्षेत्र द्वारा सम्पन्न कराया जाता था।

राजकीय कृषि क्षेत्र :– विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए बीज उत्पादन के लिए राज्य के पास स्वयं अपने बाग थे, जिसमें फूलों–फलों, सब्जियों के बीज उत्पन्न किये जाते थें। कपास–जट आदि वाणिज्योपयोगी फसलों की खेती भी राज्य की ओर से की जाती थी। कौटिल्य ने राजकीय कृषि क्षेत्रों के कार्य संचालन के विषय में उल्लेख किया है।

फसलों के बोने की अवधि एवं भूमि प्रकृति :– कौटिल्य के अनुसार अन्नों की उत्पत्ति सूर्य तथा वर्षा के अधीन बताई गई हैं। अन्नों की बोआई वर्षा की अधिकता एवं न्यूनता के अनुसार ही करने की सलाह दी गई हैं। किस अवधि में अन्न की बुआई की जानी हैं, समय निर्धारित है। धान–ज्वार को दो, तिल, कांगनी तथा लोभिया आदि अन्न वर्षारम्भ के पूर्व बुआई होनी चाहिए। मुंग, उड़द, सेन वर्षाकाल के मध्य में बोना चाहिए। कुसुम, मसूर, कुलथी, जौ, गेहूँ, मटर, अलसी, सरसों, चना, खेसारी आदि दलहन वर्षकाल समाप्ति के बाद करनी चाहिए। जिस अन्न को बोने का समय हो उसी समय बोया जाना चाहिए।

कैटिल्य ने धान, गेहूँ की खेती को लाभप्रद माना है। केला, सुपारी मध्य तथा गनने की खेती को अनिश्चित एवं हानिकारक फसल माना है। गन्ने की खेती में परेशानी ज्यादा समय भी ज्यादा लगता है। काफी सिंचाई एवं कोड़ाई तथा उपजने पर क्षति की ज्यादा संभावना रहती है। ज्यादा बढ़ जाने पर गिर कर खराब हो सकता है। अन्य लोगों के द्वारा चुराया जाता है। हाथियों के द्वारा गन्ने फसल को बर्बाद किया जाता है। गन्ने की पेराई गुड़ बनाने में काफी श्रम लगता है। नदी के किनारे वाली मिट्टी फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है। शाक–मूल की खेती के लिए कुँए के निकट की भूमि हरी सब्जियों के लिए तालाब पोखर की सीलयुक्त, जिन खेतों में सेतु के द्वारा पानी रोका जाता है, वह भूमि जीरा, खस, शकरकन्द के लिए उपयुक्त है।'

बीजोपचार :– अच्छी फसल के लिए बीजों का संस्करण आवश्यक है। विभिन्न धान्य बीजों का धुप–शीत–तुषार सेवन गोबर–मधु शुकर वसा–हड्डी धृत सुवर्ण जल, मंत्र आदि के द्वारा तथा अंकुरण होने पर आखें के दुध द्वारा संस्कार करने का विधान प्रतिपादित किया गया है। कीट–व्याधि चीटीं आदि से सुरक्षित बीज के द्वारा ही कृषि उपज बढ़ाई जाती है ।

सिंचाई व्यवस्था :– नदी, तालाब, सरोवर, कुआँ, वर्ष, सिंचाई के साधन माने जाते हैं। राज्य सरकार नहर

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

की व्यवस्थ भी करती थी । सिंचाई कर लिया जाता था । बाँध बनाकर भी यन्त्रों से सिंचाई की जाती थी।[2] सिंचाई साधनों भू–तसरी जल एवं भगर्भीय जल था। भू–स्तरीय जल को जलाश्यों, मानव निर्मित बाँधों में एकत्र कर लिया जाता था। सिंचाई में प्रयोग किया जाता था।[3] कुओं के द्वारा भूगर्भीय जल स्रोतों से सिंचाई की जाती थी। राजा द्वारा किसानों की सुविधा सिंचाई के लिए बड़े–बड़े नदियों में बाँध बनवाने चाहिए। इसके लिए राजा द्वारा नहर के लिए भूमि मार्ग एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती थी।[4] सिंचाई के चार साधनों की व्यवस्था थी। कंधों पर लाद कर पानी ले जाकर सिंचाई करना, यंत्रों द्वारा सिंचाई नदी स्रोतों नहर तथा झीलों अथवा कुंओं द्वारा सिंचाई[5] विदेशी इतिहासकार मेगास्थनीज के अनुसार ''ऐसे जल द्वारों से मुख्य नहरों से दूसरी शाखाओं में पानी पहुँचाया जाता था। जिन क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई होती थी, उनमें पानी की कोई कमी नहीं रहती थी। कौटिल्य के समय सिंचाई की ओर कितना ध्यान दिया जाता था। यह बात रूद्रदामा प्रथम के लेख से भी स्पष्ट हो जाता है। सिंचाई प्रबन्ध राजा के दायित्व के अन्तर्गत था। राज्य प्रशासन सिंचाई के पानी पर नियंत्रण रखते थे। यह बात पालिग्रन्थों, जातकों की रचनाओं में मिलता है। गाँव की खेती भूमि अलग–अलग लोगों के बीच बंटी थी। सबके खेत सहकारी सिंचाई के लिए खोदी गयी नहरों द्वारा एक दूसरे से पृथक कर दिये गये थे। मगध की खेती की सिंचाई, नालियों द्वारा आयताकार टेढ़े–मेढ़े क्षेत्रों में बाँट दिये गये थे।[6] सिंचाई के लिए पानी बर्बाद नहीं हो इसके लिये वैज्ञानिक नियम प्रतिपादित थे। पुराने बाँध बनवाने मरम्मत करने के लिए लगान माफ किये जाते थे। तालाब बाँध को अप्रयुक्त रखने पर स्वामित्व समाप्त कर दिया जाता था। जो लोग पानी का दुरूपयोग करते थे, उन्हें दण्डित किया जाता था। शत्रुओं से सिंचाई के लिए भूमि प्राप्त की जाती थी। वर्षा जल सेतुबन्ध की अपेक्षा नदी नहर आदि के सतत् जल से आपूर्ति सेतुबन्ध को श्रेष्ठ माना जाता था। मौसम सम्बन्धी

पूर्वानुमानः– किस क्षेत्र में कब कितनी वर्षा होगी। इसका पूर्वानुमान का प्रयत्न किया जाता था । पश्चिमी तट तथा हिमालय की तराई सबसे ज्यादा वर्षा तथा गोदावरी के तट पर पंजाब के क्षेत्रों तथा मालवा मरूस्थलों में सबसे कम वर्षा होती थी। वर्षामायन के लिए कोष्ठागारों में ऐसा पात्र रखने विधान किया है जिसका मुख एक ''अरली'' चौड़ा हो तॉकि जो वर्षा मापने का कार्य करें एक अरली का मतलब है 24 अंगुल = 1.5 फुट

वर्षा कितनी होगी (अल्प–मध्यम–उत्तम)

अनुमान घोषित किये जाते थे।

कृषकों को कौन–कौन से फसल गलना चाहिए। यह वर्षा के पूर्वानुमान के आधार पर बताया जाता था।

संदर्भ काश्तकारी व्यवस्थाः– काश्तकारों को पैदावार का आधा भाग दिया जाता था, जो काश्तकार पूंजी नहर लगाते थे उन्हें पैदावार का चौथा या पाँचवाँ भाग मिलता था।

कृषि से सम्बन्धी नियमों का विवरण निम्नलिखित है :–

(i) विभिन्न खेतों की सीमायें एवं क्षेत्रफल
(ii) सार्वजनिक उपयोग के लिये वन
(iii) मार्ग
(iv) दान में प्राप्त खेत
(v) बिक्री के द्वारा खरीदी गई जमीन
(vi) कृषकों को दिया गया ऋण
(vii) राजा द्वार लगान में दिया गया छुट

खलिहान की व्यवस्था सीताध्यक्ष को करना है। फसल पक जाने पर खलिहान में संग्रह करना है। खलिहान के निकट जल की व्यवस्था आवश्यक है। अग्नि से बचाने के लिए खलिहान के समीप अग्नि नहीं होनी चाहिए।

अन्न को सुरक्षित रखने के लिए कुटागार की व्यवस्था थी। कुटागार की छटें परस्पर संलग्न एवं भारी द्रव–पाषाणादि से बनी होने से वर्षा एवं तीव्र वायु से सुरक्षित होते थे।

वन संसाधनः– वन एक महत्वपूर्ण प्राकृति संसाधन है। वनों से इमारती लकड़ी, जलावन तथा औषधियाँ प्राप्त होती है। वर्षा तथा भूमि रक्षण कृषि व उद्योग से सम्बन्धी उपयोगियों की पूर्ति होती है। वनों को आदर सम्मान की दृष्टि से देखते थे। राजा को गाँव से दूर बंजर भूमि में वन लगाना चाहिए।

पशुपालनः– (1) कृषि का एक अंग पशु है। बैल तथा गायों का पालन आवश्यक है। राजा का व्यक्तिगत दोनों प्रकार के पशुपालन की व्यवस्था थी। गोपालक दोहकमन्यक नामक कर्मचारियों की नियुक्त की जाती थी।

(2) राजा के द्वारा किसानों के उपज को उचित मूल्य प्राप्ति हेतु विषणन की व्यवस्था थी ।

(3) लगान :– भू–राजस्व को निर्धारण पदाधिकारियों द्वारा की जाती थी – राजस्व के विभिन्न स्रोत थे :–

(i) सीता, राजकीय खेतों से उत्पादित वस्तु
(ii) भाग, कृषि उत्पादन का छठा भाग जो राज्य को दिया जाता था ।
(iii) कर, फलों के बागों की पैदावार पर लगाया जाने वाला ।
(iv) विवीत चारागाहों से प्राप्त कर ।
(v) रज्जु, भूमि की पैमाईश कर ।

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

(vi) सेतु, सिंचाई वाली भूमि तथा तालाब पर लगने वाला कर ।

(vii) वन से प्राप्त आय

(viii) पशुपालन–पशु प्रजनन क्षेत्र से कर ।

(xi) वर्तनी मार्ग कर या चुंगी कर38

(4) कृषि साख एवं सहायता:– खेती के लिए किसानों को आसान तरीके से ऋण उपलब्ध था । अन्न नहीं उपजने के कारण समय पर ऋण नहीं देने पर राज्य द्वारा ज्यादा परेशान नहीं किया जाता था । कार्य करने वाले किसानों को गिरतार नहीं किया जाता था ।39

(5) भूमि सुधार:– कृषि अन्य कार्यो की जननी है। कौटिल्य के द्वारा उस कृषि को उत्तम माना है, जो निम्न वर्गों के लोगों द्वारा की जाती है।

खेती नहीं होने वाले भूमि का उपयोग निम्नांकित है:–

(i) पशुओं के लिए चारागाह ।

(ii) धानिक स्थल तपोवन की व्यवस्था ।

(iii) सभी पशुओं के लिए संरक्षित वन ।

(iv) इमारती लकड़ी जड़ी–बुटी औषधिय वन ।

(v) कारखानों के द्वारा लकड़ी उद्योग ।

(vi) वन–वासियों घर ।

(vii) हाथी आदि पालने के वन ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अर्थशास्त्र – 2/24/1
2. वही – 2/24/1, 2
3. अर्थशास्त्र अधिकरण द्वितीय : प्रकरण सीताध्यक्ष।
4. चन्द्रगुप्त मौर्य तथ उसका काल, राधाकुमुद मुखर्जी पृष्ठ – 240
5. अर्थशास्त्र 2/24/28.2/24/1, 2
6. अर्थशास्त्र 2/24/8, 9
7. वही 2/24/11
8. वही 2/24/12
9. अर्थशास्त्र 2/24/13
10. वही 2/24/14,15
11. वही 2/24/20
12. अर्थशास्त्र 2/24/22
13. अर्थशास्त्र 2/24/24–27
14. वही 2/24/18
15. अर्थशास्त्र 2/1/20
16. वही 2/1/21
17. वही 2/24/18
18. सिंचाई के साधन चन्द्रगुप्त मौर्य तथा उसका काल, राधाकुमुद मुखर्जी, पृष्ठ 131
19. दृष्टव्य, सद्रदामा प्रथम का लेख
20. फास्बेल जातक 5/336, 367, 412
21. विनय 2/207–9
22. अर्थशास्त्र 3/9/27–30
23. वही 3/9/33
24. वही 3/9/32
25. वही 3/10/1
26. अर्थशास्त्र 7/11/3
27. वही 7/12/4
28. वही 2/24/5
29. वही 2/5/7
30. अर्थशास्त्र 2/24/7, 8, 9
31. अर्थशास्त्र
32. वही 2/24/10–11
33. अर्थशास्त्र 2/24/16
34. वही 2/35/3
35. वही 2/24/32
36. अर्थशास्त्रत 2/24/33
37. अर्थशास्त्र 2/6/3
38. अर्थशास्त्र 3/11/22
39. वही 7/11/21
40. अर्थशास्त्र 2/2/1–7

*****